संख्या–2

राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय

क्रमाक प–2(8)(4)(सी–विविध)आ0कृ0/जॉच/ जयपुर, दिनांकः

परिपत्र

विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न कृषि संबंधी गतिविधियॉ अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से दिशा–निर्देशानुसार संपादित की जाती हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत ही संबंधित योजनाओं का लाभ किसानों तक विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पहुॅचाया जाता है। विभिन्न शिकायतों/जॉच में आयुक्तालय स्तर से निम्नांकित प्रकरणों में निर्णय लिये गये। इनकी जानकारी आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिकों को देवें:–

1. उदयपुर (बडगॉव) जिले में एक कृषि पर्य. द्वारा राज्य सरकार की राजीव गॉधी कृषक साथी योजनान्तर्गत महिलाओं को सहायता राशि के चैक दिलवाने के बदले उनसे रिश्वत की राशि प्राप्त की गई एवं टोंक जिले में कार्यरत कृषि पर्य. द्वारा फॉर्म पोण्ड की अनुदान राशि स्वीकृत करने के बदले किसान से रिश्वत के रूप में नकद राशि प्राप्त की गई । इससे विभागीय छवि को हानि पहुॅची, इस प्रकरण में कार्मिकों को जॉच उपरांत शास्ती दी गई। इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृति को रोका जावे।
2. फील्ड स्टॉफ द्वारा क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने एवं किसानों को जानकारी उपलब्ध नहीं किए जाने के संबंध प्रायः शिकायत प्राप्त होती हैं। हनुमानगढ जिले में कार्यरत कृषि पर्य. के विरूद्ध इसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमित भ्रमण करने एवं विभागीय दिशानिर्देशानुसार आदान वितरण हेतु पाबंद किया गया।
3. विभागीय दिशा निर्देशानुसार गेहूॅ प्रदर्शन आदान परिवहन राशि किसानों से नहीं वसूली जाती। लेकिन सवाईमाधोपुर जिले में एक कृषि पर्यवेक्षक द्वारा गेहूॅ प्रदर्शन आदान परिवहन राशि किसानों से वसूलने के प्रकरण में भविष्य के लिए चेतावनी दी गई।
4. अजमेर जिले में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक द्वारा परस्पर एक दूसरे की शिकायत किए जाने पर उन्हें अनावश्यक शिकायतें नहीं करने हेतु पाबंद कर चेतावनी दी गई।
5. पाली जिले में कार्यरत एक कृषि अनुसधान अधिकारी के विरूद्ध किसानों द्वारा शिकायत किए जाने पर अधिकारी को किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं का तुरन्त निराकरण करने, उनसे सद्व्यवहार करने एवं कार्यालय समय पर उपस्थित होने की सलाह दी गई।
6. प्रायः अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता/स्थानांतरित कार्मिकों को समय पर कार्यमुक्त नहीं किया जाता जिससे उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना होती है, जो आचरण नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अतः भविष्य में सभी खण्ड/जिला स्तरीय/नियंत्रण अधिकारी फील्ड में सभी विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय संबंधित विभागीय दिशा–निर्देशों के साथ–साथ आचरण नियमों की सम्पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाएंगें तथा इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृति को रोका जाना सुनिश्चित करें।

-Sd-
(डॉ.नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव कृषि

(3)

क्रमाक प–2(8)(4)(सी–विविध)आ0कृ0/जॉच/1642-1735 जयपुर, दिनांक: 05-05-16

प्रतिलिपि निम्न को अनुपालनार्थ प्रेषित है:–

1. निदेशक, उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. निदेशक कृषि **आदान/विस्तार/अनुसंधान/एनएमओओपी/समन्वय,** मु0, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि **फसलबीमा/योजना/रसायन/गुण नियं./ज.उ.प्र./पौ.सं./आरकेवीवाई** ,मु0 जयपुर।
4. सभी संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड
5. **सभी** उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद्
6. ए.सी.पी. मु0 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, मु0, जयपुर।
8. आरक्षी।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि(प्रशासन)